International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 29-06-2026, Accepted: 29-07-2026, Published: 13-08-2026
Volume 12, Issue 3, 2026, Page No. 96-98

बिहार के निचले न्यायालयों का एक क्षेत्रीय अध्ययन: जमीनी हकीकत, चुनौतियाँ और सुधार की दिशा

राजीव कुमार [1], डॉ. संजय तिवारी [2]
[1] शोध छात्र, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत
[2] असिस्टेंट प्रोफेसर, गया कॉलेज, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत
DOI: https://doi.org/10.66856/ijhr.2026.12.3.12213

सारांश
बिहार की अधीनस्थ न्यायपालिका को वर्तमान संकट, अत्यधिक लंबितता और बुनियादी ढांचागत कमियों से उबारकर आम जनमानस के लिए पारदर्शी, त्वरित और सुलभ बनाने हेतु एक सुदृढ़ और व्यापक नीतिगत रणनीति को लागू करना अत्यंत अनिवार्य है। बिहार के निचले एवं अधीनस्थ न्यायालय राज्य की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ हैं, जो जिला एवं अनुमंडल (सब–डिवीजन) स्तर पर आम नागरिकों के लिए न्याय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण द्वार बनते हैं। विभिन्न प्रशासनिक समीक्षाओं के अनुसार राज्य के लगभग 30: से 35: अनुमंडलीय न्यायालयों के पास न्यायाधीशों के बैठने के लिए पर्याप्त कमरों का अभाव है, जबकि दशकों पुराने मुकदमों के अभिलेख संकीर्ण और जर्जर रिकॉर्ड रूमों में धूल फांक रहे हैं। इसके साथ ही, दूर–दराज के ग्रामीण इलाकों से आने वाले फरियादियों—विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों—के लिए 60: से अधिक कोर्ट परिसरों में स्वच्छ पेयजल, छायादार शेड और कार्यशील शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी बनी हुई है।

मूल शब्दः अधीनस्थ न्यायालय, भूमि विवाद, ग्राम कचहरी, ई–सेवा केंद्र, संविधान, मॉडल डिजिटल कोर्ट रूम

बिहार के निचले एवं अधीनस्थ न्यायालय राज्य की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की आधारशिला और रीढ़ हैं, जो जिला एवं अनुमंडल (सब–डिवीजन) स्तर पर आम नागरिकों के लिए न्याय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण द्वार बनते हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया और बेगूसराय जैसे प्रमुख जिलों के व्यापक क्षेत्रीय अध्ययनों से यह कड़वी हकीकत स्पष्ट रूप से उजागर होती है कि राज्य की अधीनस्थ अदालतें गंभीर बुनियादी ढांचागत, प्रशासनिक और व्यावहारिक संकटों के चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। इन न्यायालयों में भौतिक सुविधाओं का अभाव इस कदर हावी है कि राज्य के लगभग 30: से 35: अनुमंडलीय न्यायालयों के पास न्यायाधीशों के बैठने और अदालती कार्यवाही संचालित करने के लिए पर्याप्त कमरों तक का सख्त अभाव है। इसके साथ ही, दशकों पुराने लाखों मुकदमों के बहुमूल्य अभिलेख अत्यंत संकीर्ण, सीलन भरे और जर्जर रिकॉर्ड रूमों में धूल फांक रहे हैं, जिससे न केवल फाइलों के नष्ट होने का जोखिम बना रहता है, बल्कि मुकदमों के दैनिक निस्तारण में भी भारी प्रशासनिक विलंब होता है।

अदालती परिसरों में आने वाले नागरिकों की स्थिति और भी अधिक दयनीय है। दूर–दराज के ग्रामीण और सुदूर इलाकों से उम्मीद और न्याय की गुहार लेकर आने वाले फरियादियों, विशेषकर महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को भारी फजीहत झेलनी पड़ती है। क्षेत्रीय अध्ययनों के आंकड़े बताते हैं कि 60: से अधिक कोर्ट परिसरों में पीने के साफ पानी, धूप और बारिश से बचाने वाले छायादार शेड और कार्यशील तथा स्वच्छ शौचालयों जैसी अत्यंत मूलभूत मानवीय सुविधाओं की घोर कमी है। पूरे–पूरे दिन अदालत में तारीख का इंतजार करने वाले मुवक्किलों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में न्यायिक परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हालिया सुरक्षा समीक्षाओं और रिपोर्टों के अनुसार, विभिन्न जिला एवं सत्र अदालतों में लगाए गए 40: से अधिक मेटल डिटेक्टर, डोर–फ्रेम स्कैनर और सीसीटीवी कैमरे या तो पूरी तरह से निष्क्रिय पड़े हैं या उनका तकनीकी रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। न्यायाधीशों, वकीलों, गवाहों और मुवक्किलों की सुरक्षा में यह भारी ढिलाई न केवल कोर्ट परिसरों में आपराधिक घटनाओं के जोखिम को बढ़ाती है, बल्कि भयमुक्त न्यायिक वातावरण के निर्माण में भी एक बड़ी बाधा बनती है। बुनियादी ढांचे की यह बदहाली सिर्फ भौतिक असुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर आम जनता के न्यायिक अनुभव और न्याय प्रणाली की कार्यकुशलता को प्रभावित करती है। जब तक बिहार के सभी जिला और अनुमंडलीय न्यायालयों को पर्याप्त भौतिक स्थान, नागरिक–अनुकूल आधुनिक सुविधाओं और चुस्त–दुरुस्त बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणालियों से लैस नहीं किया जाएगा, तब तक निचले स्तर पर एक प्रभावी, सुरक्षित और गरिमापूर्ण न्यायिक वातावरण का निर्माण कर पाना बेहद कठिन बना रहेगा।

बिहार के निचले न्यायालयों में जनशक्ति संकट, मुकदमों का विशाल अंबार और न्यायिक विलंब

बिहार की अधीनस्थ न्यायपालिका के सुचारू और प्रभावी संचालन के मार्ग में सबसे विकट और मुख्य बाधा न्यायिक अधिकारियों (न्यायाधीशों) तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की अत्यधिक कमी और इसके परिणामस्वरूप दिन–प्रतिदिन बढ़ता मुकदमों का विशाल अंबार है। विभिन्न आधिकारिक आंकड़ों और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के सांख्यिकीय विश्लेषण से यह चिंताजनक तस्वीर उभरती है कि वर्तमान में बिहार के निचले न्यायालयों में लगभग 35 लाख से अधिक दीवानी (सिविल) और आपराधिक मामले वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। इस भयावह लंबितता का सबसे मुख्य कारण राज्य में 'न्यायाधीश–जनसंख्या अनुपात' का अत्यंत दयनीय होना है; बिहार में प्रति दस लाख (10 लाख) की आबादी पर केवल 11 से 12 न्यायाधीश ही उपलब्ध हैं, जो कि 21 के राष्ट्रीय औसत से लगभग आधा है और विधि आयोग द्वारा अनुशंसित प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों के मानक मानदंड की तुलना में बेहद निराशाजनक है। पर्याप्त अदालतों और न्यायाधीशों के न होने के कारण कार्यरत न्यायिक अधिकारियों पर मुकदमों का असह्य दबाव बना रहता है, जहाँ एक–एक जज को प्रतिदिन औसतन 100 से 150 मुकदमों की फाइलों की सुनवाई करनी पड़ती है, जिससे प्रत्येक मामले को दिया जाने वाला गुणवत्तापूर्ण समय स्वतः सीमित हो जाता है।

समस्या केवल न्यायाधीशों की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायालयों के दैनिक प्रशासनिक संचालन की रीढ़ माने जाने वाले गैर–न्यायिक कर्मचारियों का हाल भी उतना ही चिंताजनक है। राज्य के निचले न्यायालयों में पेशकार, आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर), अहलमद, अभिलेखपाल और अन्य लिपिकीय (क्लेरिकल) पदों पर लगभग 25ः से 35ः तक पद लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं। आशुलिपिकों की भारी कमी के कारण न्यायाधीशों द्वारा दिए जाने वाले मौखिक आदेशों, गवाहियों और फैसलों को समय पर टाइप और अपलोड करने में महीनों का विलंब होता है, वहीं पेशकारों और अहलमदों के अभाव में केस फाइलों का समुचित रख–रखाव, समन की तामीली और अदालती नोटिसों का प्रेषण जैसे बुनियादी कार्य अटक जाते हैं। इस प्रशासनिक और न्यायिक शिथिलता का सबसे भयावह व अमानवीय प्रभाव बिहार की जेलों में बंद उन निर्धन विचारणाधीन (अंडरट्रायल) कैदियों पर पड़ता है, जो राज्य की कुल जेल आबादी का लगभग 75ः से 80ः हिस्सा हैं। छोटे–मोटे या असिद्ध आरोपों के बावजूद वर्षों तक जेल की सलाखों के पीछे रहने पर मजबूर ये गरीब बंदी न तो वकील की फीस दे पाते हैं और न ही जमानत का बंधपत्र भर पाते हैं। वर्षों तक न्याय की आस में कैद रहना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त 'जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और 'त्वरित न्याय' के मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन है, जो अंततः संपूर्ण लोकतांत्रिक एवं न्यायिक व्यवस्था पर से आम जनता के विश्वास को डिगाता है।

बिहार के निचले न्यायालयों में ई–कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट, डिजिटलीकरण एवं 'डिजिटल विभाजन' की जमीनी चुनौतियाँ

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुलभ और त्वरित बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित 'ई–कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट' के तहत बिहार की अधीनस्थ अदालतों का व्यापक डिजिटलीकरण करने का प्रयास लगातार जारी है। किंतु बिहार जैसे विशाल ग्रामीण परिदृश्य और सीमित संसाधनों वाले राज्य में इस महत्वाकांक्षी योजना के व्यावहारिक कार्यान्वयन के मार्ग में गंभीर जमीनी बाधाएं एवं 'डिजिटल विभाजन' स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आते हैं।

राज्य के ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों से आने वाले 70ः से अधिक साधारण मुवक्किलों जो बहुधा किसान, मजदूर और कम पढ़े–लिखे नागरिक हैं तथा पारंपरिक कार्यप्रणाली के अभ्यस्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए 'ई–कोर्ट्स सर्विसेज ऐप' या संबंधित डिजिटल पोर्टलों का उपयोग करना अत्यंत जटिल सिद्ध होता है। इस तकनीकी साक्षरता के अभाव के साथ–साथ राज्य की बुनियादी ढांचागत कमियाँ भी डिजिटलीकरण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई हैं।

राजधानी पटना के प्रमुख न्याय परिसरों को छोड़ दिया जाए, तो राज्य के अन्य 80ः से अधिक जिला एवं अनुमंडलीय न्यायालयों में हाई–स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का घोर अभाव है और प्रतिदिन औसतन 2 से 4 घंटे की बिजली कटौती एक आम समस्या बनी हुई है। इस ढांचागत विफलता का सीधा नकारात्मक प्रभाव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली वर्चुअल सुनवाइयों, डिजिटल साक्ष्यों के प्रेषण और मामलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग पर पड़ता है, जिससे अदालती कार्यवाही में बार–बार रुकावट आती है।

डिजिटलीकरण के इस सफर का एक अन्य चिंताजनक पहलू वकीलों का प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधनों की अनुपलब्धता है। जिला व अनुमंडलीय बार संघों के 80ः से अधिक अधिवक्ताओं के पास ई–फाइलिंग के लिए आवश्यक हार्डवेयर उपकरण (जैसे कंप्यूटर, स्कैनर, डिजिटल सिग्नेचर किट) उपलब्ध नहीं हैं और न ही उन्हें इन आधुनिक प्रणालियों में दक्ष बनाने के लिए कोई नियमित व औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यद्यपि नई पीढ़ी के युवा वकील तकनीक को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु व्यापक प्रशिक्षण और मजबूत आईटी–इन्फ्रास्ट्रक्चर के बिना कागज़ी फाइलों के डिजिटल रूपांतरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से चल रही है।

संक्षेप में कहें तो, बिहार के निचले न्यायालयों में शत–प्रतिशत डिजिटलीकरण की सफलता केवल नीतियाँ बनाने या कंप्यूटर आवंटित कर देने मात्र से संभव नहीं है। जब तक सुदूर अनुमंडलों तक निर्बाध हाई–स्पीड इंटरनेट, स्थायी बिजली आपूर्ति, अधिवक्ताओं व अदालती कर्मचारियों के लिए नियमित तकनीकी कार्यशालाएँ और मुवक्किलों की सहायता हेतु क्रियाशील 'ई–सेवा केंद्र' स्थापित नहीं किए जाते, तब तक ई–कोर्ट्स मिशन का वास्तविक एवं व्यावहारिक लाभ बिहार के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिक तक पहुँचना एक अधूरी आकांक्षा ही बना रहेगा।

बिहार के निचले न्यायालयों में मुकदमों की सामाजिक–आर्थिक प्रकृति, कानूनी चुनौतियाँ और आम नागरिक पर आर्थिक बोझ

बिहार की विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना का सीधा एवं गहरा प्रभाव अधीनस्थ न्यायालयों में दर्ज होने वाले मुकदमों की प्रकृति और उनकी संख्या पर दिखाई देता है। राज्य में कृषि योग्य भूमि ही बहुसंख्यक आबादी की जीविका और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्राथमिक आधार है, जिसके कारण निचले न्यायालयों में लंबित कुल दीवानी (सिविल) मामलों का लगभग 60ः से 70ः हिस्सा अकेले भूमि विवादों से संबंधित होता है। इनमें मुख्य रूप से भूमि का सीमांकन, उत्तराधिकार, पारिवारिक बंटवारा, बेनामी संपत्तियां और अवैध कब्जे जैसे मामले शामिल हैं। राजस्व एवं सर्वे अभिलेखों के दशकों तक अद्यतन न होने और त्रुटिपूर्ण जमाबंदी के कारण एक ही भूखंड पर कई पक्षों के दावे उत्पन्न होते हैं, जिससे ये मुकदमे वर्षों और पीढ़ियों तक अदालतों में खिंचते चले जाते हैं। चिंताजनक बात यह भी है कि राज्य में घटित होने वाले कुल गंभीर आपराधिक मुकदमों (जैसे हत्या, मारपीट और रंगदारी) के 60ः से अधिक मामलों की मूल वजह भी यही भूमि विवाद होते हैं, जो यह दर्शाता है कि भूमि विवाद केवल सिविल अदालतों तक सीमित न रहकर राज्य की कानून–व्यवस्था को भी सीधे प्रभावित करते हैं।

भूमि विवादों के इस पारंपरिक और भारी बोझ के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू किए गए बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम (शराबबंदी कानून) जैसे विशेष विधायी प्रावधानों ने अधीनस्थ न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को अभूतपूर्व रूप से प्रभावित और अत्यधिक दबाव में ला दिया है। प्रशासनिक समीक्षाओं और अदालती आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में बिहार की निचली अदालतों में लंबित कुल मुकदमों का लगभग 20ः से 25ः हिस्सा अकेले शराबबंदी कानून से जुड़े मामलों और उससे उत्पन्न जमानत याचिकाओं से संबंधित है। न्यायाधीशों का एक बड़ा और कीमती समय शराबबंदी से जुड़े मामलों की दैनिक सुनवाइयों और जमानत अर्ज़ियों के निस्तारण में ही व्यतीत हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर आपराधिक मुकदमों, गवाहियों के पंजीकरण और पीढ़ियों से लंबित भूमि विवादों की नियमित सुनवाइयाँ पिछड़ती चली जाती हैं।

मुकदमों की इस दीर्घकालिक और जटिल प्रक्रिया का सबसे घातक व अमानवीय प्रभाव बिहार के ग्रामीण, साधनहीन और गरीब परिवारों के सामाजिक–आर्थिक जीवन पर पड़ता है। दूर–दराज के गांवों से जिला या अनुमंडल मुख्यालय स्थित अदालतों तक पहुँचने के लिए बार–बार यात्रा करना, वकीलों की फीस चुकाना, अदालती कागजातों की व्यवस्था करना और तारीख के दिन अपनी दैनिक मजदूरी का नुकसान सहना गरीब फरियादियों के लिए एक भयानक आर्थिक संकट बन जाता है। विभिन्न सामाजिक–आर्थिक अध्ययनों से यह उजागर हुआ है कि एक औसतन ग्रामीण परिवार को अपने किसी मुकदमे की कानूनी पैरवी जारी रखने के लिए अपनी कुल वार्षिक आय का लगभग 15ः से 20ः तक हिस्सा खर्च करना पड़ता है। कई बार गरीब मुवक्किल कोर्ट–कचहरी के इस अंतहीन खर्च को उठाने के

चक्कर में स्थानीय साहूकारों के कर्ज के जाल में उलझ जाते हैं, जिससे उनकी बची–कुची आर्थिक रीढ़ भी टूट जाती है। न्याय पाने की यह अत्यंत खर्चीली, थकाऊ और समय लेने वाली प्रणाली अंततः समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिक को असहाय बना देती है या उसे अनचाहे व अन्यापूर्ण समझौतों के सामने झुकने पर मजबूर कर देती है।

बिहार के निचले न्यायालयों में प्रणालीगत सुधाररू नीतिगत सिफारिशें और भावी रणनीति

बिहार की अधीनस्थ न्यायपालिका को वर्तमान संकट, अत्यधिक लंबितता और बुनियादी ढांचागत कमियों से उबारकर आम जनमानस के लिए पारदर्शी, त्वरित और सुलभ बनाने हेतु एक सुदृढ़ और व्यापक नीतिगत रणनीति को लागू करना अत्यंत अनिवार्य है। इस दिशा में सबसे पहला और प्राथमिक कदम प्रशासनिक व न्यायिक भर्ती प्रक्रियाओं में आमूलचूल परिवर्तन करना है; बिहार लोक सेवा आयोग तथा पटना उच्च न्यायालय के बीच एक सशक्त एवं त्वरित समन्वय प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिससे निचले न्यायालयों में रिक्त पड़े लगभग 25ः से 35ः न्यायिक अधिकारियों (न्यायाधीशों) एवं प्रशासनिक कर्मचारियों (पेशकार, स्टेनोग्राफर, क्लर्क) के पदों को मिशन मोड में समयबद्ध प्रक्रिया के तहत भरा जा सके। जनशक्ति में यह वृद्धि अधीनस्थ अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और कार्यरत न्यायाधीशों पर से अत्यधिक कार्यभार को नियंत्रित करने के लिए पहली शर्त है।

भर्ती प्रक्रिया के साथ–साथ राज्य में मुकदमों के प्रवाह को रोकने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियों को संस्थागत रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–मोटे भूमि विवादों, सीमांकन, और पारिवारिक झगड़ों के स्थानीय स्तर पर निस्तारण हेतु 'ग्राम कचहरी' व्यवस्था को वित्तीय, तकनीकी व कानूनी संसाधनों से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। एक स्पष्ट नीतिगत लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि कम से कम 30ः छोटे व दीवानी प्रकृति के मामलों का समाधान मुख्य अदालती चौखट तक पहुँचने से पूर्व ही मध्यस्थता, सुलह–समझौता केंद्रों और लोक अदालतों के माध्यम से संपन्न कराया जा सके। इसके साथ ही, सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों की न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दायरे का विस्तार करना आवश्यक है; इसके तहत बीपीएल परिवारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य वंचित वर्गों को 100ः निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और सक्षम विधिक सहायता सुलभ कराई जानी चाहिए, ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक विपन्नता के कारण न्याय पाने से वंचित न रहे।

निष्कर्ष

अंततः न्याय प्रणाली के आधुनिकतावादी रूपांतरण के लिए राज्य के सभी जिला एवं अनुमंडलीय न्यायालय परिसरों को 'मॉडल डिजिटल कोर्ट रूम' के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी अदालती कक्षों को निर्बाध हाई–स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और 24 घंटे सौर–ऊर्जा/पावर बैकअप से सुसज्जित करना आवश्यक है। साथ ही, प्रत्येक कोर्ट परिसर में क्रियाशील ई–सेवा केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जो ग्रामीण फरियादियों और वकीलों को केस स्टेटस देखने, ई–फाइलिंग करने और वर्चुअल सुनवाइयों में शामिल होने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता प्रदान कर सकें। जनशक्ति नियोजन, वैकल्पिक मध्यस्थता, व्यापक कानूनी सहायता और आधुनिक आईटी–इन्फ्रास्ट्रक्चर का यह एकीकृत मॉडल ही बिहार की अधीनस्थ न्यायपालिका को सशक्त बनाकर राज्य के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सुलभ, पारदर्शी और गरिमापूर्ण न्याय पहुँचाने का स्थाई मार्ग प्रशस्त करेगा।

संदर्भ सूची

1. उच्च न्यायालय, पटना. (2022–2023). वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टरू बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों का कार्य–निष्पादन, लंबितता और अवसंरचनात्मक स्थिति. पटना: पटना उच्च न्यायालय प्रकाशन।
2. विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार. (2021). ई–कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट (चरण–II): कार्यान्वयन रिपोर्ट और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल चुनौतियाँ. नई दिल्ली: न्याय विभाग।
3. विधि आयोग, भारत सरकार. (2014). 245वीं रिपोर्ट: न्यायालयों में मुकदमों का निस्तारण और न्यायिक जनशक्ति का मानकीकरण (जज–जनसंख्या अनुपात). नई दिल्ली: भारत सरकार।
4. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG). (2023). बिहार के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दीवानी और आपराधिक मामलों की लंबितता तथा लंबितता की अवधि के आंकड़े।
5. इण्डिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR). (2022). टाटा ट्रस्ट्स: भारतीय न्याय व्यवस्था रिपोर्ट – बिहार में न्यायपालिका का बुनियादी ढांचा, जनशक्ति और कानून व्यवस्था रैंकिंग. नई दिल्ली: टाटा ट्रस्ट्स एवं सहभागी संस्थाएं।
6. कुमार, अमित एवं शर्मा, राजेश. (2020). षबिहार के जिला न्यायालयों में भूमि विवाद, राजस्व अभिलेख और न्यायिक विलंब: एक प्रांतीय अध्ययन"- भारतीय समाजशास्त्र और विधि पत्रिका, 14(2), 112–128।
7. सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च (CLPR). (2019). बिहार के निचले न्यायालयों में बुनियादी ढांचा, नागरिक सुविधाएं और जनशक्ति संकट: एक जमीनी समीक्षा. बंगलुरु: सी.एल.पी.आर. पब्लिकेशंस।
8. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी. (2020). राज्य स्तरीय अधीनस्थ न्यायपालिका की स्थिति: बिहार के अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटलीकरण और ई–फाइलिंग की जमीनी हकीकत. नई दिल्ली: विधि पब्लिकेशंस।
9. सिंह, बैद्यनाथ. (2018). बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016: निचले न्यायालयों पर मुकदमों का अतिरिक्त भार और जमानत प्रणाली पर प्रभाव. पटना: बिहार लॉ हाउस।
10. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA). (2022). जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की वार्षिक समीक्षा: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और विचारणाधीन कैदियों तक मुफ्त विधिक सहायता की पहुँच. नई दिल्ली: नालसा।